E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या : 17–तक0 को0–106 / 2011– Part-2....1551.......

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक :–02-06-2021

विषय :– धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़े हुए मंदिर एवं मठ जो रजिस्टर्ड भूमि पर है, उसे चिन्हित कर नया सर्वे में शामिल करने के संबंध में।

प्रसंग :– बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की संपन्न अष्टम बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक– बि0वि0मि0–स्था0 (बैठक)–01 / 21 437 दिनांक– 13.05.2021

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक कार्यवाही में निदेशित किया गया है कि धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़े हुए मंदिर एवं मठ जो रजिस्टर्ड भूमि पर है, उसे चिन्हित कर नया सर्वे में शामिल करने पर विचार किया जाय। इस संदर्भ में उल्लेखित करना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम अंतर्गत सर्वेक्षण हेतु प्रथम चरण के लिए चयनित जिलों यथा खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा के समाहर्त्ताओं एवं बन्दोबस्त पदाधिकारियों से भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्र संख्या–17–तक0 को0–106 / 2011 Part-2 1233 दिनांक–16.03.2021 द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में निदेश दिया गया है।

निदेशालय के उक्त पत्रांक– 1233 दिनांक– 16.03.2021 द्वारा अनुरोध किया गया था कि वक्फ बोर्ड के अतिरिक्त सभी जिलों में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से पंजीकृत भूमि का संरक्षण एवं सर्वेक्षण हेतु ऐसे संस्थानों को भी सूचना देकर उनके भूमि के संरक्षण एवं सर्वेक्षण की कार्रवाई की जाय।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में पंजीकृत मंदिर एवं मठ की भूमि को चिन्हित कर वर्त्तमान विशेष सर्वेक्षण के दौरान बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड अधिनियम, 1950 के अधीन यथोचित कार्रवाई कर भूमि के संरक्षण हेतु यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 2/6/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–106 / 2011– Part-2......1551...... **पटना, दिनांक** :02-06-2021

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–106 / 2011– Part-2......1551...... **पटना, दिनांक** :02-06-2021

प्रतिलिपि : सदस्य सचिव, बिहार विकाश मिशन को उनके ज्ञापांक– बि0वि0मि0–स्था0 (बैठक)–01 / 21 437 दिनांक–13.05.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–106 / 2011– Part-2......1551...... **पटना, दिनांक** :02-06-2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–106 / 2011– Part-2......1551...... **पटना, दिनांक** :02-06-2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप